SHREE VASU LOGISTICS LIMITED
CIN: L51109CT2007PLC020232
Registered Office: Unit-6, New Office Building, Near Ring Road No. 04
Tendua IID, Dharsiwa, Raipur-492099, C.G.
Phone: 7000681501, **E-mail:** cs@logisticpark.biz
Website: www.shreevasulogistics.com

Date: June 20, 2026

To,
The Manager
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
-Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai- 400051

Symbol: SVLL
ISIN: INE00CE01017

Subject: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith Newspaper clippings of the advertisement published on June 20, 2026, regarding dispatch of Notice of Postal Ballot of the company in the following newspapers:

1. Business Standard - English
2. Deshbandhu - Hindi

The newspaper publication is also uploaded and available on our Company's website at: https://www.shreevasulogistics.com/Stock-Exchange.aspx..

We request you to take the above information on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Shree Vasu Logistics Limited

MONALI MAKHIJA Digitally signed by MONALI MAKHIJA Date: 2026.06.20 15:50:42 +05'30'

Monali Makhija
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.A71644

Encl: As above

SHREE VASU LOGISTICS LIMITED

CIN: L51109CT2007PLC020232
Registered Office: Unit No.-6, New Office Building Near Ring Road No.4, Tendua IID, Tendua, Dharsiwa,Raipur 492099 (C.G). Ph: 7000681501, E-mail:cs@logisticpark.biz, Website:www.shreevasulogistics.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Sections 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Rule 20 & 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 & other applicable provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (including any statutory amendment(s), modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020 and 20/2021 dated December 8, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the items of Special Business as set out in the Postal Ballot Notice dated May 21, 2026 are proposed for approval by the Members of Shree Vasu Logistics Limited by means of Postal Ballot through remote e-voting.

Members are hereby informed that:

1. The Company has completed the dispatch of Postal Ballot Notice only through email, on June 19, 2026, to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, June 12, 2026. Further, in accordance with the aforesaid Circulars, physical copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope has not been sent to the Members. Hence, the Members are required to communicate their assent or dissent only through the remote e-voting system. The Company has engaged the services of Big share Services Private Limited for providing the remote e-voting facility.

2. The aforesaid Notice along with the explanatory statement is available on the website of the Company (www.shreevasulogistics.com), websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the e-voting agency, https://ivote.bigshareonline.com. Those Members, whose email addresses are not registered, are requested to refer to the procedure mentioned in the Notes to Postal Ballot Notice, available on the above websites, to cast their votes electronically.

3. The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of Members to cast their vote through remote e-voting facility is Friday, June 12, 2026. The Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. **4.** The remote e-voting period shall commence from 9.00 a.m. (IST) on Saturday, June 20, 2026 and end at 5.00 p.m. (IST) on Sunday, July 19, 2026. The remote e-voting module shall be disabled thereafter by Bigshare. Once the vote on a resolution is cast by a Member, they shall not be allowed to change it subsequently or cast their vote again. **5.** The Company has appointed M/s. Mehta and Mehta, Company Secretaries (ICSI Unique Code: P1996MH007500) as the Scrutinizer for conducting the postal ballot through the e-voting process in a fair and transparent manner. Ms. Alifya Sapatwala (Membership No.A24091) and failing her, Ms. Namrata Tatiya (Membership No. A51152) Partners will represent M/s.Mehta & Mehta, Company Secretaries. as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process. **6.** Queries / Issues: In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and i-Vote e-Voting module available at **https://ivote.bigshareonline.com**, under download section or you can email us to ivote@bigshareonline.com or call at: 022-62638338.

7. The results of the Postal Ballot shall be declared not later than two working days from the conclusion of the Postal Ballot by placing the same on the website of the Company **(www.shreevasulogistics.com)** and e-voting agency, **https://ivote.bigshareonline.com**. The results shall also be communicated to the Stock Exchanges simultaneously.

For Shree Vasu Logistics Limited
Sd/- Monali Makhija
Company Secretary & Compliance Officer
ACS: 71644

Date : 19.06.2026
Place : Raipur

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/S AKSH OPTIFIBRE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	**M/s Aksh Optifibre limited**
2.	Date of incorporation of corporate debtor	19.03.1986
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC Jaipur
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L24305RJ1986PLC016132
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	F-1080, Phase III. RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan, India, 301019
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	19.06.2026
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	16.12.2026
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Praveen Kumar Singhal IBBI/IPA-001/IP-P00514/2017-2018/10915
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	E-24A, 2nd FLOOR, Jawahar Park, Laxmi Nagar, New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110092 Email ID: casinghalpk@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	512A, 5th Floor, Indraprakash Building, Barakhamba Road, Cannaught Place, New Delhi - 110001 ip.cirp.aol@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	03.07.2026
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Relevant forms are available at : https://ibbi.gov.in//en/home/downloads (b) N.A.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of **M/s AKSH OPTIFIBRE LIMITED** on 19.06.2026 in C.P. No. IB- 45/7/JPR/2023 in the matter of M/s Shantanu Investments Pvt Ltd VS M/s Aksh Optifibre Ltd.

The creditors of **AKSH OPTIFIBRE LIMITED** , are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 03.07.2026 to the interim resolution professional at the address mentioned at serial no. 10 above

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic mode only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, shall indicate its choice of authorized representative of the class in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Praveen Kumar Singhal
Interim Resolution Professional
Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00514/2017-2018/10915
AFA Valid upto: 30-June -27
For Aksh Optifibre Limited (Under CIRP)

Date: 20.06.2026
Place: New Delhi

IV JUDGE SCC BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL AT CHENNAI

O.P.No:1596 of 2026

S. Palani Kumaran, … Petitioner
Vs
1. Peeyush Roadlines
2. The New India Ass.Co.Ltd.,
… Respondents

To: R1
Peeyush Roadlines,
No.22/12, Madhura Road, Opp to Civil Hospital, Ballabgarh,
Faridabad, Haryana 121 004.

Above case was posted on 01.07.2026 in your appearance. Before the Hon'ble Court IV Judge Small Causes Court at Chennai 10:30 am either in person or through gone counsel without fail failing which the matter will be decided in your absence.

M/s. Saravana Bhava Associates,
C. Balasubramanian,
Counsel for Petitioner

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
Road Construction Department, Road Division, Daltonganj

e-Procurement Tender Notice

e-Tender Ref No- 5/RCD/Daltonganj/2026-27/700
Dated: 19.06.2026

1.	Name of Work	**Construction of Naudiha Bazar Bypass Road in Daltonganj District (Total Length-3.14 km) for the year 2026-27**
2.	Estimated Cost	**Rs. 15,04,25,700.00 (Fifteen Crore Four Lacs Twenty Five Thousand Seven Hundred Rupees) Only.**
3.	Bid Security (Amount)	**Rs. 15,04,300.00 (Rupees Fifteen Lacs Four Thousand Three Hundred) Only.**
4.	Time of Completion	**18 Months**
5.	Date of Publication of Tender on Website	**30.06.2026, 10:30 AM**
6.	Last Date/Time of Online Bid Submission	**20.07.2026, 12:00 Noon**
7.	Date and Time of Bid opening	**22.07.2026, 12:30 PM**
8.	Bid (Tender Fee & EMD) Submission Address	**Cost of bidding document (for a non refundable fee) & Bid security as indicated shall be payable online through http://jharkhandtenders.gov.in**
9.	Name & address of officer Inviting tender	**Executive Engineer, R.C.D., Road Division, Daltonganj.06562–225019**
10.	E-mail Id	**eercdmedini-jhr@nic.in**
11.	Helpline number of e-Procurement cell	**0651-2401010**

Note : Estimated amount may vary.

For further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in.

Executive Engineer
Road Construction Department
Road Division, Daltonganj.

PR 382762 (Road)26-27*D

JSW

IN THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, MUMBAI BENCH,
C.A.(CAA)/88/MB/2026
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232
AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN GE POWER INDIA LIMITED AND JSW ENERGY LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS

JSW Energy Limited, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956, having Corporate Identity Number L74999MH1994PLC077041 and having its registered office at JSW Centre, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai – 400 051, Maharashtra, India) **… Company / Resulting Company**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND THE UNSECURED CREDITORS OF JSW ENERGY LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated 2nd June 2026 (**"Tribunal Order"**), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench (**"Hon'ble Tribunal"**) has, inter alia, directed convening of the meetings of the equity shareholders and the unsecured creditors of JSW Energy Limited (**"Company"** or **"Resulting Company"**), for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed Scheme of Arrangement between GE Power India Limited and JSW Energy Limited and their respective shareholders (**"Scheme"**) under Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (**"Act"**).

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, and in compliance with the applicable provisions of the Act including the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (**"MCA Circulars"**) and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, further notice is hereby given that meetings of the equity shareholders and the unsecured creditors of the Company will be held through video conferencing (**"VC"**) / other audio visual means (**"OAVM"**), as the schedule given hereunder:

Sr. No.	Meeting of	Day and Date of meetings	Time of meetings
1.	Equity shareholders	Monday, 20th July, 2026	10.30 a.m. (IST)
2.	Unsecured creditors	Monday, 20th July, 2026	12.30 p.m. (IST)

Notice(s) of the aforesaid meetings together with a copy of the Scheme, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (**"CAA Rules"**) and accompanying documents have already been sent to the equity shareholders and the unsecured creditors. through email on Thursday, 18th June 2026.

The said Notice(s) along with accompanying documents have been sent by electronic mail (i) to those equity shareholders whose email addresses are registered (as on 12th June 2026) with the Company / Kfin Technologies Limited (Kfin) (the Registrar and Share Transfer Agent and the agency engaged for providing e-voting facility) / Depository Participant(s) (**"DPs"**); and (ii) to all those unsecured creditors whose name is recorded in the list of unsecured creditors available with the Company (as on 31st May 2026) on the email addresses registered with the Company . Further, the equity shareholders and the unsecured creditors whose email addresses are not available with the Company or who have not received the notices convening the said meetings can access or download the respective notices from the website of the Company at www.jswenergy.in, the website of Kfin at www.kfintech.com and the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

If so desired, the equity shareholders and the unsecured creditors may obtain a physical copy of the Notice and the accompanying documents, i.e., Scheme and the Explanatory Statement under Section 230 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the CAA Rules, free of charge, from the Registered Office Company on all working days, between 09:00 A.M. (IST) to 05:00 P.M. (IST) up to the date of the meeting. Alternatively. a request for obtaining an electronic / soft copy of the Notice may be made by writing an e-mail at jswel.investor@jsw.in.

The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Mohan Prasad Tiwari, as the Chairperson for the aforesaid meetings of the equity shareholders and the unsecured creditors of the Company and Ms. Pooja Singhal as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting during the Meeting and remote e-voting process to make sure that it is conducted in a fair and transparent manner. The abovementioned Scheme, if approved by the equity shareholders and the unsecured creditors of the Company at their respective meetings, will be subject to the subsequent sanction of the Hon'ble Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

Since the respective meetings of the equity shareholders and the unsecured creditors of the Company are being held pursuant to the Tribunal Order through VC /OAVM, physical attendance of the equity shareholders and the unsecured creditors have been dispensed with. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the equity shareholders and the unsecured creditors of the Company will not be available for the respective meetings. The instructions for joining the meeting and remote e-voting/ e-voting at the meeting, are provided in the Notice of the respective meetings.

The equity shareholders and the unsecured creditors of the Company shall have the facility and option of voting on the respective resolutions for approval of the Scheme by casting their votes: (a) through e-voting system available at the respective meetings to be held through VC / OAVM (**"e-voting"**); or (b) by remote electronic voting (**"remote e-voting"**) during the period as stated below:

The cut-off date for e-voting and time period for the remote e-voting of the aforesaid meetings are as under:

Equity shareholders meeting	
Cut off date for e-voting	Monday, 13th July, 2026
Remote e-voting start date and time	Thursday, 16th July, 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Sunday, 19th July, 2026 at 5:00 p.m. (IST)

Unsecured creditors meeting	
Cut off date for e-voting	Sunday, 31st May, 2026
Remote e-voting start date and time	Thursday, 16th July, 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Sunday, 19th July, 2026 at 5:00 p.m. (IST)

Equity shareholders / unsecured creditors may participate in the respective meetings even after exercising the right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the meeting. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting at the meeting is provided in the Notice of the Meeting. Only single mode of voting i.e., through remote e-voting or voting at the Meeting can be opted. If votes are cast by both modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and vote at the meeting shall be treated as invalid. Remote e-voting shall not be allowed beyond the voting period, as stated above.

A person whose name appears as an equity shareholder in the register of members or in the list of beneficial owners maintained by the depositories as on Monday, 13th July, 2026, being the cut-off date, shall be entitled to exercise his / her voting rights on the resolution proposed in the Notice and attend the Meeting. The voting rights of the equity shareholders shall be in proportion to their shareholding of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date, i.e. Monday, 13th July, 2026.

A person whose name is recorded in the list of unsecured creditors available with the Company as on the cut-off date, i.e., Sunday, 31st May, 2026, only shall be entitled to exercise his / her voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the meeting of unsecured creditors. The voting rights of an unsecured creditor shall be in proportion to the outstanding amount due by the Company as on the cut-off date, i.e. Sunday, 31st May, 2026.

The equity shareholders/ unsecured creditors seeking any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the aforesaid meetings, are requested to write from their registered email ID atleast 7 (seven) days before the date of the meeting mentioning their name, DP ID and Client ID (for shareholders), email ID, PAN and mobile number to the Company through email on jswel.investor@jsw.in.

The result of the voting of meetings will be announced by the Chairperson of the respective meetings within 2 (two) working days from the conclusion of the respective meetings and the same along with the consolidated Scrutinizer's Report, will be communicated to BSE and NSE, and simultaneously uploaded on the Company's website at www.jswenergy.in and on the website of KFin Technologies Limited (KFin) at www.kfintech.com.

In case of any queries or grievances related to e-voting, Members may refer to Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact Mr. P. S. R. C. H. Murthy, Senior Manager, KFin at 040-67162222 at 1800-309-4001 (toll-free) or write to evoting@kfintech.com.

Sd/-
Mohan Prasad Tiwari,
Chairperson appointed for the meetings of the equity shareholders and unsecured creditors of the Company

Dated: 18th June 2026

Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold—featuring *Shankar Sharma, Andrew Holland, Nilesh Shah, Tamal Bandyopadhyay,* and more, only in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business.standard business-standard business-standard.com

देश

उवाच

'ओम प्रकाश राजभर मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं। हर दिन उन्हें अमित शाह या दिल्ली से कोई पत्र मिलता है, शायद वह व्हाट्सऐप या ईमेल से आता है, और वे वही पढ़कर बयान दे देते हैं। आपको इलाज की जरूरत है। आपकी अपनी सरकार है, योगी की सरकार है, और ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं। आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान है, आप कुछ दिन वहां रहकर आराम कीजिए: **सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस**

तापमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली	39.0	31.0
मुंबई	33.0	30.0
कोलकाता	31.0	27.0
चेन्नई	35.0	29.0

'राहुल गांधी छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं': अमित चावड़ा

अहमदाबाद, 19 जून (एजेंसियां)। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर 'छात्रों की गूंज' का ऐलान किया। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बार-बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे लाखों छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे देश के संसाधनों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इससे छात्रों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। लेकिन, उनकी बात कहीं पर भी नहीं सुनी जा रही है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया गया है। ऐसा देश में पहली बार हो रहा है।

जब कोई छात्र गलती करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन, अफसोस की बात है कि बार-बार देश में पेपर लीक हो रहा है। जिम्मेदार तंत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है: अमित चावड़ा

उन्होंने कहा कि देश में नीट का पेपर लीक हुआ। इसके बाद पेपर कैंसिल हुआ। लाखों बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अगर उन सभी के पूरे खर्चे को मिला दिया जाए, तो यह 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपए हो जाता है। वहीं, पूरे देश के शिक्षण संस्थान का बजट 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जितना खर्च पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में होता है, उतना ही खर्च नीट की तैयारी करने वाले छात्रों में होता है। अगर हम टोटल जोड़ दें, तो टोटल खर्च साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का होता है। जब एक पेपर लीक होता है, तो सिर्फ एक पेपर कैंसिल नहीं होता है। इससे पूरा परिवार बर्बाद होता है। इसी को देखते हुए देश की शिक्षण व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठे हैं।

उन्होंने कहा कि जब कोई छात्र गलती करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन, अफसोस की बात है कि बार-बार देश में पेपर लीक हो रहा है। जिम्मेदार तंत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोटा से 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम शुरू हुआ है। देश में पहली बार बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के सिर्फ छात्रों की वेदना को उठाने के लिए मंच दिया गया।

आतंकी साजिश का भंडाफोड़, किश्तवाड़ में भी दो आतंकी मददगार पकड़े

जम्मू, 19 जून (देशबन्धु)। सुरक्षाबलों ने अमरनाथ यात्रा को क्षति पहुंचाने के एक आतंकी षड्यंत्र का भांडाफोड़ करने का दावा किया है। यह खतरा कितना बड़ा था अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि पकड़े गए तीन ओजीडब्ल्यू से प्लास्टिक विस्फोटक पीईके बरामद किया गया है जो किसी भी स्कैनर की पकड़ में नहीं आता है। इस बीच किश्तवाड़ में भी दो आतंकी मददगार पकड़े गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि शोपियां जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुक्रवार को पुडसू इलाके में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान तीन ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, खुफिया सूचना के आधार पर शोपियां पुलिस ने पुडसू क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान तीन संदिग्ध ओजीडब्ल्यू को पकड़ा गया। तलाशी में उनके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, करीब 2.5 किलोग्राम प्लास्टिक विस्फोटक सामग्री पीईके, चार मोबाइल फोन और प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े चार पोस्टर बरामद किए गए हैं।

- पहले दिन लापता हुए तीन युवकों के सहारे अमरनाथ यात्रा को क्षति पहुंचाने की थी साजिश
- पकड़े गए तीन ओजीडब्ल्यू से प्लास्टिक विस्फोटक पीईके बरामद

सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों युवक 31 मई 2026 से अपने घरों से लापता थे। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों आतंकी संगठन में शामिल हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार ओजीडब्ल्यू की पहचान और मामले के अन्य विवरण को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की है। मामले की जांच जारी है। जबकि सूत्रों का दावा था कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि तीनों इस विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा को क्षति पहुंचाने के लिए करना चाहते थे। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

इस बीच पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वन विभाग का एक कर्मचारी भी शामिल है। एक अधिकारी ने बताया कि ये गिरफ्तारियां किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान की गईं।

देश में राहुल गांधी की स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है, भविष्य उज्ज्वल है : हुसैन दलवई

मुंबई। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके राजनीतिक भविष्य को उज्ज्वल बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में देशभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल बना है और जिस तरह राहुल गांधी ने लोगों के बीच जाकर संवाद स्थापित किया है, उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। हुसैन दलवई ने विशेष रूप से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी लंबी यात्रा कर लोगों के बीच पहुंचना और उनकी समस्याओं को समझना एक बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया ब्लॉक को मजबूत बनाना चाहते हैं। हुसैन दलवई ने कहा कि आने वाले समय में राहुल गांधी की भूमिका ज्यादा बड़ी होगी तथा वह देश के एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेंगे।

कुपवाड़ा में पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक को 6 दिन बाद वापस भेजा गया

सेना अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) पार करने के आरोप में सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए एक पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि असद खान नाम के इस व्यक्ति को, जो खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) का रहने वाला है, भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद 12 जून को कुपवाड़ा के सिमरी गांव में हिरासत में लिया गया था। उन्होंने बताया कि जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, उसे 18 जून को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने के दौरान, तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उसके साथ मानवीय व्यवहार किया गया।

बागी सांसदों पर संजय राउत का तंज, कहा

वे खुद को बेचने के लिए बाजार में खड़े थे

मुंबई, 19 जून (एजेंसियां)। शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक मौके पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चार साल के भीतर पार्टी में दूसरी बार बड़ी फूट तब पड़ी जब छह लोकसभा सांसदों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने का फैसला किया। इसके एक दिन बाद शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने बागी सांसदों पर तीखा हमला किया। उन्होंने दावा किया कि कैबिनेट में पद पाने को लेकर हुए विवाद के बाद उन्हें शांत करने के लिए देर रात पैसों का लेन-देन (फाइनेंशियल सेटलमेंट) करना पड़ा था।

बागी सांसदों ने बस अपनी वफादारी की बोली लगवाई है। मैं इसे बंटवारा नहीं मानता। कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है जब वह किसी विचारधारा से जुड़ा हो : संजय राउत, सांसद और मुख्य प्रवक्ता यूबीटी

उन्होंने कहा, 'वे खुद को बेचने के लिए बाज़ार में खड़े थे।' राउत ने कहा कि बागी सांसदों ने बस अपनी वफादारी की बोली लगवाई है। उन्होंने कहा, 'मैं इसे बंटवारा नहीं मानता। कोई व्यक्ति तब पार्टी छोड़ता है जब वह किसी विचारधारा से जुड़ा हो। जब कोई खुद को बेचने के लिए बाज़ार में खड़ा हो और कोई उसे खरीद ले, तो इसे सौदेबाजी कहते हैं, बंटवारा नहीं। हमारे छह लोग दो दिन पहले बाजार में खड़े थे, उन्होंने खुद पर कीमत का टैग लगाया और बिक गए। वे किसी महान क्रांतिकारी सोच की वजह से पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं।' उन्होंने बागी सांसदों संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टिकर, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर पर कड़ा निशाना साधा, जिन्होंने पार्टी के सख्त 'थ्री-लाइन व्हिप' के बावजूद दिल्ली में हुई एक अहम संसदीय बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। यह बताते हुए कि छह सांसद अभी तक मुंबई क्यों नहीं लौटे हैं, राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार में मंत्री पद किसे मिलेगा, इसे लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो गई थी।

राउत के मुताबिक, इस अफरातफरी को सुलझाने के लिए आधी रात को एक समझौता हुआ। उन्होंने दावा किया कि बाकी पांच नाराज सांसदों को शांत करने के लिए, अगले एक साल में हर एक को 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया गया है, बशर्ते वे सार्वजनिक रूप से कोई हंगामा न करें। राउत ने आरोप लगाया, 'वे अभी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कहीं छिपे हुए हैं।' 'अगर आपने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, तो आपको पुलिस के इतने बड़े दस्ते की क्या जरूरत है? क्या महाराष्ट्र का गृह विभाग सिर्फ गद्दारों की सुरक्षा के लिए है, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।

राज्य मिशन मोड पर करेंगे काम तो 2047 से पहले हासिल हो सकता है सिकल सेल उन्मूलन का लक्ष्य : मुर्मु

ओंकारेश्वर (मध्यप्रदेश), 19 जून (एजेंसियां)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी राज्यों से सिकल सेल संबंधी आनुवंशिक बीमारी के उन्मूलन के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान करते हुए कहा है कि राज्यों की समेकित शक्ति और सक्रियता से देश 2047 से पहले ही सिकल सेल रोग के उन्मूलन के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर सकता है। श्रीमती मुर्मु ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सात करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है, जो आनुवंशिक रोगों की जांच-परख की दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि में मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, जहां अब तक सवा करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा अधिकांश लोगों को जेनेटिक काउंसिलिंग भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल रोग की चुनौती को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और लगभग तीन वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था। यह केवल स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि जनजातीय स्वास्थ्य, आनुवंशिक जागरूकता, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक व्यवहार में बदलाव से जुड़ा व्यापक अभियान है।

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को मिले अतिरिक्त वोटः प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के नतीजों के बाद कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भाजपा और सेक्युलर के गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को मिले अतिरिक्त वोट इस बात का संकेत हैं कि भाजपा और जेडी(एस) के कई विधायक दोनों दलों के गठबंधन से संतुष्ट नहीं हैं। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि भाजपा और जेडी(एस) के 11 वोट कांग्रेस उम्मीदवारों को मिले है(

भारत तय समय से पहले हासिल करेगा रक्षा उत्पादन और निर्यात का लक्ष्य : राजनाथ

नागपुर, 19 जून (एजेंसियां)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और रक्षा उत्पादन तथा निर्यात के तय लक्ष्यों को निर्धारित समय से पहले हासिल करने की राह पर है।

नागपुर स्थित ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबाझरी (यान्त्र इंडिया लिमिटेड) में 10,000 टन क्षमता वाले एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न प्रेस की आधारशिला रखने के बाद, उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर रहना उचित नहीं है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो देश अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करने में सक्षम होता है, वही अपने राष्ट्रीय हितों की सबसे बेहतर तरीके से रक्षा कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह नई परियोजना आयात आधारित व्यवस्था से स्वदेशी रक्षा विनिर्माण की ओर एक बड़ा बदलाव साबित होगी।

रक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले एक दशक में तकनीक, कुशल मानव संसाधन, ज्ञान और राष्ट्रीय विश्वास के बल पर भारत के रक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में देश का कुल रक्षा उत्पादन बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2014 में यह केवल 46 हजार करोड़ रुपये था। इसी तरह रक्षा निर्यात भी बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया है, जो 2014 में एक हजार करोड़ रुपये से भी कम था। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लेगा।

मांग सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (नीचे वर्णित ट्रस्ट्स के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) (इसमें आगे 'आर्सिल' कही गई है), जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक आस्ति पुनर्गठन कम्पनी है तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे 'सरफासी ऐक्ट' कहा गया है) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत है, तथा जबकि नीचे वर्णित चार्ट के कालम 2 में वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने मूल ऋणदाता आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड से ऋण प्राप्त किया है और जबकि आर्सिल ने ऋण खातों के संबंध में वित्तीय आस्तियां अधिग्रहीत कर ली हैं ; तथा जबकि आर्सिल ने, प्रतिभूत लेनदार के रूप में, सरफासी अधिनियम के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचनाओं में वर्णित राशि उस पर आगे ब्याज के साथ सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी, परंतु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को सूचनाएं सुपुर्द नहीं की जा सकीं। ट्रस्ट का नाम: आर्सिल -ट्रस्ट - 2026 - 15

कर्जदार (रों)/गारंटर(रों) का नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)
दुल्हन फैशन गार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री निर्मल खेतपाल श्री प्रदीप खेतपाल, श्रीमती ईश्वरी खेतपाल, श्रीमती रचना खेतपाल, श्रीमती रेणुका खेतपाल, धनरेखा एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री किशोर कुमार खेतपाल, इंद्रपुष्प वेंचर्स (लैन नंबर: 969386, 991168, 786284, 837745)	लोन नंबर 786284 के लिए रू. 56947229.15 (रुपये पांच करोड़ उनहत्तर लाख सैंतालीस हजार दो सौ उनतीस पैसे पंद्रह) और 837745 के लिए रू. 6295765.23 (रुपये बासठ लाख पंचानबे हजार सात सौ पैंसठ पैसे तेईस) और 969386 के लिए रू. 1475161.74 (रुपये चौदह लाख पचहत्तर हजार एक सौ इकसठ रुपये चौहत्तर पैसे मात्र) और 991168 के लिए रू. 3965864.12 (रुपये उनतालीस लाख पैंसठ हजार आठ सौ चौंसठ रुपये बारह पैसे मात्र)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: संपत्ति सर्वे नंबर 12, 23/10, 13/2, 13/5 (पुराने सर्वे नंबर- 12 का हिस्सा, 23/4 का हिस्सा, 13/2 का हिस्सा और 13/3 का हिस्सा) भू क्षेत्रफल - 0.405 हेक्टेयर या 43575.24 वर्ग फीट (उस पर निर्माण के साथ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद वार्ड नंबर- 46, गांव- फुंडहर, पी.एच. नंबर 114, शहर, तहसील और जिला - रायपुर, सी.जी., 492001 में स्थित है। निम्नानुसार सीमाबद्धः उत्तर: बेचने वाले की बाकी भूमि, दक्षिण: धरसा, पूर्व: विक्रेता द्वारा बनाई गई 40 फीट की अंदरूनी सड़क, पश्चिम: महेश वाधवा की भूमि

अतएव, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर्जदारों/सह-कर्जदारों को यह सूचना दी जाती है, जिसमें उनसे इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार के सामने ऊपर दर्शाई गई कुल बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की जाती है। संबंधित कर्जदार/सह-कर्जदार द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, आर्सिल ऊपर वर्णित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए विवश होगी, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से सूचना प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत रूप से सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए सूचना के प्रकाशन की तिथि से पहले किसी भी समय आर्सिल को देय पूरी राशि के साथ-साथ लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान करके छुड़ाया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफासी ऐक्ट की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत सम्पत्तियों को किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने और/या उनका निपटान करने हेतु रोक लगाई जाती है।

स्थानः रायपुर, तिथिः 20-06-2026 हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन नंबरः U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालयः दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400028 फ़ोनः 91 22665 81300 वेबसाइटः www.arcil.co.in

ICICI Bank पंजीकृत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रेस कोर्स सर्किल, वडोदरा-390007
कार्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई 400051
शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बीपी-4, टेक्नोपोलिस बिल्डिंग, चतुर्थ तल, सेक्टर-5, सेक्टर-ट, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700091
दिवंगत कर्जदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रकटीकरण हेतु सूचना

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) द्वारा दिवंगत मोहम्मद जावेद के साथ अफ्साना खातून को LBBLI00003621593, LBBLI00003621599 (क्रेडिट सुविधा) प्रदान की गई थी। उक्त क्रेडिट सुविधाः एलआईजी 01, स्व वित्त योजना इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, भिलाई-490022 स्थित संपत्ति के संबंध में बंधक द्वारा मोहम्मद जावेद द्वारा प्रतिभूति हित सर्जन द्वारा प्रत्याभूत है।
हम आपको सूचित करने के इच्छुक हैं मोहम्मद जावेद के स्वर्गवास की जानकारी हमें बैंक पदाधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र के दौरों और पंजीकृत सम्पर्क नंबरों पर टेलीफोन संवाद के माध्यम से मिली है। इस संबंध में, दिवंगत कर्जदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में कर्जदारों और स्वर्गीय मोहम्मद जावेद के पंजीकृत पते पर एक पत्र दिनांक 16 जून, 2026 को भेजा गया था।
इसलिए, एतद्द्वारा यह सूचना, बैंक के रेकार्ड अद्यतन करने के लिए, स्वर्गीय मोहम्मद जावेद के कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण, समर्थन दस्तावेजों के साथ, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने हेतु जारी की जा रही है।
आप उपरोक्त विवरण आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तृतीय एवं चतुर्थ तल, सतपाल चैम्बर्स गौरव पथ, निकट राज भवन, सिविल लाइन्स, छत्तीसगढ़, रायपुर-492001 पधार कर श्री संकल्प शर्मा के पास जमा कर सकते हैं।
दिनांकः 20 जून, 2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दुर्ग (छत्तीसगढ़) वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बीपी-4, टेक्नोपोलिस बिल्डिंग, चतुर्थ तल, सेक्टर-5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700091
सीआईएन:L65190GJ1994PLC021012, www.icicibank.com

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधा(ओं) के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है। ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, जोकि तामील नहीं की जा सकी और इसलिए उनको इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन	प्रेषित सूचना की तिथि/ सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	सागर फूड प्रोडक्ट्स/सागर पिंजानी, भारती पिंजानी गारंटर/ भारती पिंजानी/बंधकदाता/प्रतिनिधित्व स्वामी सागर पिंजानी द्वारा श्री साई फूड कैम्पस, रिंग रोड नंबर 03, पिरदा, हर्ष पेट्रोल पम्प के पीछे, छत्तीसगढ़, रायपुर-492012/ 016105010125	दुकान नं. 11, प्रथम तल, जे.बी. मॉल,खसरा नं. 431, मकान नं. 448 से 452,रायपुर खास, पी.सी. नं. 106-ए, आर.आई. सर्किल रायपुर-।, एम.जी. रोड, वार्ड नं. 37, पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड, रायपुर,तहसील और जिला रायपुर (छ.ग.) भारती पिंजानी के स्वामित्व में, 187.63 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्रफल	25 मई, 2026 रु. 17,32,187.71/-	02-03-2026

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जहां कहीं लागू है) को बकाया राशि का भुगतान धारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, आगे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।
तिथिः 20 जून, 2026 भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः रायपुर वास्ते आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
{सीआईएन: L51109CT2007PLC020232}
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नं.-6, रिंग रोड नं.4 के पास नया कार्यालय भवन, तेंदुआ आईआईडी, तेंदुआ, धरसीवा, रायपुर 492099 (छ.ग.), फ़ोन: 7000681501, ई-मेल आईडी: cs@logisticpark.biz, वेबसाइट: www.shreevasulogistics.com

प्रथम असाधारण आम बैठक एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों (यदि कोई हों), कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 एवं 22, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 एवं अन्य लागू प्रावधानों, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य सभाओं संबंधी सचिवीय मानक (तत्संबंधी समय-समय पर प्रभावी किसी भी सांविधिक संशोधन, परिवर्तन अथवा पुनः अधिनियमन सहित) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 एवं 20/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसरण में, श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के सदस्यों की स्वीकृति हेतु दिनांक 21 मई 2026 के डाक मतपत्र सूचना में वर्णित विशेष कार्यों को दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तावित किया गया है।
सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि : 1. कंपनी द्वारा डाक मतपत्र सूचना का प्रेषण केवल ई-मेल के माध्यम से दिनांक 19 जून 2026 को उन सदस्यों को पूर्ण कर लिया गया है, जिनके ई-मेल पते कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 12 जून 2026 को कंपनी/डिपॉजिटरी के अभिलेखों में पंजीकृत थे। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति, डाक मतपत्र प्रपत्र तथा पूर्व-भुगतानयुक्त व्यवसायिक प्रत्युत्तर लिफाफा सदस्यों को प्रेषित नहीं किया गया है। अतः सदस्यों को अपनी सहमति अथवा असहमति केवल दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से ही व्यक्त करनी होगी। कंपनी ने दूरस्थ ई-मतदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं प्राप्त की हैं। 2. उक्त सूचना, स्पष्टीकरणात्मक विवरण सहित, कंपनी की वेबसाइट (www.shreevasulogistics.com), उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर, जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com), तथा ई-मतदान एजेंसी की वेबसाइट https://ivote.bigshareonline.com पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों के ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मत प्रदान करने हेतु उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध डाक मतपत्र सूचना के टिप्पणियों (Notes) में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करें। 3. दूरस्थ ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मत प्रदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 12 जून 2026 निर्धारित की गई है। केवल वे सदस्य, जिनके नाम उक्त कट-ऑफ तिथि को कंपनी के सदस्य रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा संधारित लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में अंकित हैं, दूरस्थ ई-मतदान सुविधा का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। 4. दूरस्थ ई-मतदान की अवधि शनिवार, 20 जून 2026 को प्रातः 9:00 बजे (भारतीय मानक समय) से प्रारंभ होकर रविवार, 19 जुलाई 2026 को सायं 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) पर समाप्त होगी। इसके पश्चात बिगशेयर द्वारा दूरस्थ ई-मतदान सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मत प्रदान किए जाने के उपरांत उसे परिवर्तित करने अथवा पुनः मत प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। 5. कंपनी ने ई-मतदान प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र की कार्यवाही को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संचालित करने हेतु एम/एस मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव (आईसीएसआई विशिष्ट कोड: P1996MH007500) को परीक्षक नियुक्त किया है। श्रीमती अलफिया टवाला (सदस्यता क्रमांक A24091) तथा उनके अनुपलब्ध रहने की स्थिति में श्रीमती नम्रता ताटिया (सदस्यता क्रमांक A51152), भागीदारगण, एम/एस मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु परीक्षक के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। 6. प्रश्न/समस्याएँ: यदि अंशधारकों/निवेशकों को ई-मतदान के संबंध में कोई प्रश्न हो, तो वे https://ivote.bigshareonline.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा i-Vote ई-मतदान मॉड्यूल का अवलोकन कर सकते हैं अथवा ivote@bigshareonline.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या दूरभाष क्रमांक 022-62638338 पर संपर्क कर सकते हैं। 7. डाक मतपत्र के परिणाम डाक मतपत्र की समाप्ति की तिथि से अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर कंपनी की वेबसाइट [www.shreevasulogistics.com] (http://www.shreevasulogistics.com) तथा ई-मतदान एजेंसी की वेबसाइट [https://ivote.bigshareonline.com], (https://ivote.bigshareonline.com) पर प्रदर्शित कर घोषित किए जाएंगे। उक्त परिणामों की सूचना साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रेषित की जाएगी।

दिनांक : 19.06.2026
स्थान : रायपुर

श्री वासु लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षरित/-मोनाली माखीजा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
ए.सी.एस. : 71644

ओरिक्स लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 94, मारोल को-आपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई-400059
वेबसाइट : www.orixindia.com फोन : 022-6707 0100

परिशिष्ट - 4-क (नियम 8(6) का परंतुक देखे)
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार (रों) तथा गारंटर (रों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार नामतः ओरिक्स लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, यहां इसमें नीचे वर्णित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों की तरफ ओरिक्स लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 10-07-2026 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा (ईएमडी) यहां इसमें नीचे वर्णितानुसार होगी।

कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों का नाम बकाया राशि ऋण खाता संख्या मांग सूचना तिथि	सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य (आईएनआर) धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बोलियां/दस्तावेज जमा करने हेतु अंतिम तिथि बोली वृद्धि राशि
1. जयेश परमार 2. नीतू जयेश परमार भारतीय रूपए 1,49,80,271.41/- (केवल एक करोड़ उन्चास लाख अस्सी हजार दो सौ इकहत्तर और इकतालीस पैसे) 11.06.2026 तक LN0000000017787, LN0000000018613 17-05-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : संपत्ति खसरा नंबर 598/23, क्षेत्रफल-2000 वर्ग फुट, रवींद्र नाथ टैगोर वार्ड नंबर 51, गांव-लालपुर, पीएच नंबर 114/45 पुराना (69/70 नया), आर.आई.सी., रायपुर1, तहसील और जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है और निम्नानुसार सीमाबद्ध है - उत्तरः खुली जमीन, दक्षिणः सड़क, पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क	भारतीय रूपए 1,07,51,400/- (केवल एक करोड़ सात लाख इक्यावन हजार चार सौ रुपये) भारतीय रूपए 10,75,140/- (रुपये दस लाख पचहत्तर हजार एक सौ चालीस मात्र) 09 जुलाई, 2026 भारतीय रूपए 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
1. पीयूष प्रकाश गुप्ता 2. शालिनी गुप्ता भारतीय रूपए 1,24,55,339.91/- (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख पचपन हजार तीन सौ उन्तालीस और पैसे इक्यानवे मात्र) 11.06.2026 तक LN0000000014109 04-06-2021	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि और भवन केएच नंबर 541/6, क्षेत्रफल परिमाप 1620 वर्ग फीट, पी.एच. नंबर 114/45, रवींद्रनाथ संपत्ति निम्नानुसार सीमाबद्ध है - पूरबः अन्य जमीन, पश्चिमः सड़क, उत्तरः अन्य संपत्ति दक्षिणः अन्य प्लॉट	भारतीय रूपए 68,40,000/- (रुपये अड़सठ लाख चालीस हजार मात्र) भारतीय रूपए 6,84,000/- (केवल छह लाख चौरासी हजार रुपये)। 09 जुलाई, 2026 भारतीय रूपए 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
1. योगेश कुमार गोयल 2. मोनिका गोयल भारतीय रूपए 1,03,01,571.85/- (केवल एक करोड़ तीन लाख एक हजार पांच सौ इकहत्तर रूपये तथा पिच. ासी पैसे) 11.06.2026 तक LN0000000019208, LN0000000013996 15-09-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : दुकान नं. एफ-1, एफ-2, एफ-3, एफ-4, परिमाप 842 वर्ग फुट (कालीन क्षेत्र) और 1040 वर्ग फुट (सुपर निर्मित/निर्मित क्षेत्र), ब्लॉक-एफ, केएच. नंबर 728/1-2-3, 731/3-4 भाग, पीएच नं. 109, वृंदावन गार्डन, उरकुरा रोड, गांवः दलदल सिवनी, तहसील और जिलाः रायपुर (छ.ग.), एएम, और इसकी सीमाएंः पूर्वः सड़क, पश्चिमः हॉल, उत्तरः खुली जगह, दक्षिणः खुली जगह	भारतीय रूपए 70,20,000/- (केवल सत्तर लाख बीस हजार रुपये) भारतीय रूपए 7,02,000/- (केवल सात लाख दो हजार रुपये) 09 जुलाई, 2026 भारतीय रूपए 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)
1. महेश कुमार नानवानी 2. सोनिया नानवानी भारतीय रूपए 56,82,347.55/- (रुपये छप्पन लाख बयासी हजार तीन सौ सैंतालीस तथा पैसे पचपन मात्र) 11.06.2026 तक LN0000000018142 10-08-2022	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल संपत्ति केएच. नंबर 154/4 पार्ट, पी.एच. नंबर 114/52, गांव देवपुरी, हिमालयन हाइट्स के पास, आर.एन.एम. रायपुर-2, तहसील और जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी सीमाएं इस प्रकार हैंः उत्तरः एल/ओ अन्य, पूर्वः खुली भूमि, पश्चिमः खुली भूमि, दक्षिणः सड़क	भारतीय रूपए 40,50,000/- (केवल चालीस लाख पचास हज़ार रुपये) भारतीय रूपए 4,05,000/- (केवल चार लाख पांच हजार रुपये) 09 जुलाई, 2026 भारतीय रूपए 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र)

प्रतिभूत संपत्ति से संबंधित किसी प्रश्न के लिए, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज बोहरा (संपर्क विवरण : + 91-7665018136) से सोमवार से शनिवार तक कार्यसमय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया ओरिक्स लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक https://www.orixindia.com/sales-notice देखें
तिथि : 16-06-2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : रायपुर; ओरिक्स लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड